सूचना लाईसेंस मृत पशु शव निस्तारण वर्ष 2021–22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 17–10–1987 के तारतम्य में जारी पंचायतीराज विभाग के शासनादेश संख्या 858/33–2–96–57 डब्लू/91 दिनांक 30.03.1996 व दिनांक 28.09.2000 के अनुपालन में जनपद में वर्ष 1985 से पूर्व उधोग विभाग कानपुर वर्ष 1985 के उपरान्त खादी एवं ग्रामोधोग बोर्ड लखनऊ से पंजीकृत मृत पशु शवच्छेदन एवं चर्मशोधन पेशे से जुडी समस्त औ0उ0स0 समितियों से जो जिला पंचायत शामली के क्षेत्रान्तर्गत मृत पशु शव निस्तारण के कार्य में कार्यरत है। उनसे वर्ष 2021–2022 की अवधि के लिए लाईसेंस दिये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2021 तक किसी भी कार्य दिवस में जिला पंचायत, शामली कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्रों के साथ समिति का पंजीकरण प्रमाण–पत्र सहित सदस्यों की सूची, बैंक लेखा प्रमाण–पत्र, कार्यवाही पंजिका, आडिट एवं चुनाव की अध्यावधिक स्थिति सहित समस्त अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जानी आवश्यक है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी बकायेदार समिति का आवेदन पत्र विचारणीय न होगा। आवेदन पत्रों की जाँच दिनांक 23.01.2021 तक किये जाने के उपरान्त जिन न्याय पंचायतों/ब्लॉक में मृत पशु शव निस्तारण हेतु पंजीकृत समिति विद्यमान नहीं है या आवेदन प्राप्त नहीं होते है या आवेदन अपूर्ण प्राप्त होते है कि शासनादेश संख्या 2232/33–2–2020–420जी0/2020 दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सार्वजनिक निविदा दिनांक 25.01.2021 को समय दोपहर 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म तद् दिनांक को 12:00 बजे तक निर्धारित मूल्य पर विक्रय किये जायेंगे जो उसी दिनांक को 03:00 बजे निविदा समिति द्वारा अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में खोले जायेंगे। निविदा दाताओं को 5000/– रू0 धरोहर राशि अथवा डिमांड ड्राफट के रूप में अपर मुख्य अधिकारी पदनाम के रूप में करने होंगे, शेष बचे ब्लॉक/न्याय पंचायतों हेतु आगामी प्रत्येक सोमवार को पुनः निविदा प्रक्रिया की जायेगी। मृत पशु शव निस्तारण की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। निविदा दाता को उक्त कार्य में पैतृक रूप से लगे होने सम्बन्धी ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

(मुकेश जैन)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

कार्यालय जिला पंचायत, शामली

पत्रांक– 543 /जि0पं0शा0/2020–21 दिनांक– 01.01.2021

प्रतिलिपिः–

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत महोदया शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदया, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी महोदय शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, शामली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति एवं निविदा शरायतों को शासकीय वेबसाईट www.shamli.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
7. निविदा समिति के सदस्य कार्य अधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत शामली को सूचनार्थ।
8. संपादक दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक हिन्दुस्तान' एवं 'दैनिक जागरण' शामली को इस आशय से कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अगले स्थानीय अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर प्रकाशन की 4 प्रतियों के साथ बिल कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।
9. सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

:: टैण्डर फार्म ::

बुक संख्या..........................

टैण्डर फार्म नम्बर....................

मूल्य 400.00(चार सौ रू0+जी0एस0टी0)

कार्यालय जिला पंचायत, शामली

कार्य का नाम– मृत पशु शव निस्तारण

ठेकेदार का नाम व पता–

ठेकेदार टैण्डर नोटिस मृत पशु शव निस्तारण वर्ष 2021–22 में निम्न टैण्डर नोटिस में निर्धारित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अपने टैण्डर दिनांक......................के क्रय करेंगे तथा बन्द लिफाफे के साथ समय दोपहर 2:00 बजे टैण्डर बॉक्स में डालेंग तथा नियमानुसार जमानत जमा करने हो। टैण्डर उसी दिन समय 3:00 बजे खोले जायेंगे। टैण्डरदाता टैण्डर खुलने के समय उपिस्थित रहेंगे।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

कार्यालय जिला पंचायत, शामली

बुक संख्या..........................

टैण्डर फार्म नम्बर....................

कार्य का नाम– मृत पशु शव निस्तारण

ठेकेदार का नाम व पता–

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

निम्नलिखित शर्तो के आधार पर मैं टैण्डर/ठेका लेने को तैयार हूँ।

क्र0 सं0	न्याय पंचायत/ब्लाक का नाम	धनराशि	
		अंकों में	शब्दों में

शर्तें:–

1– वर्ष 2021–22 के लिए जनपद शामली के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत मृत पशु शव निस्तारण के कार्य हेतु न्याय पंचायत वार/ब्लाकवार टैण्डर द्वारा लाईसेंस/ठेका दिया जायेगा। नीलाम समिति द्वारा टैण्डर में प्राप्त धनराशि के आधार पर नीलाम उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में सक्षम स्तर की स्वीकृति की प्रत्याशा में छोड़ा जायेगा।

2– टैण्डरदाता को टैण्डर डालने से पूर्व प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए 2000.00 रूपये एवं प्रत्येक ब्लाक के लिए 18000.00 रूपये जमानत के रूप में नगद जमा कराने होंगे। जिसके हक में ठेका छोडा जायेगा उसकी जमानत की धनराशि ठेके की धनराशि के रूप में समायोजित कर ली जायेगी। शेष व्यक्तियों की जमानत वापस कर दी जायेगी।

3– उच्चतम टैण्डरदाता को ठेके का सम्पूर्ण धन टैण्डर खुलने के बाद तत्काल जमा करना होगा। उच्चतम टैण्डरदाता द्वारा तत्काल धन जमा नहीं किया जाता तो द्वितीय टैण्डरदाता को समिति द्वारा अवसर प्रदान किया जायेगा यदि वह दोनों समस्त धनराशि जमा नहीं करते तो उनकी जमानत जब्त कर पुनः टैण्डर प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

4– ठेकेदार द्वारा निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराना होगा।

5– ठेकेदार को चमड़ा उतारने व उसे जमा कराने का कार्य जिला पंचायत, शामली मृत पशु शव निस्तारण की उपविधियों तथा निर्धारित शर्तो के अनुसार करना होगा तथा अन्य लाईसेंस/टैक्स स्वंय अदा करना होगा।

6– ठेका दौरान जिला पंचायत व ठेकेदार के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, शामली द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष, जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा जो दोनों पक्षो को मान्य होगा।

7– जिला पंचायत, शामली की इस टैण्डर प्रक्रिया में उक्त मद का कोई भी बकायादार व अन्य जनपद का व्यक्ति भाग नहीं ले सकेगा।

8– मृत पशु शव निस्तारण के कार्य में कोई भी लापरवाही या कमी पाये जाने पर टैण्डर द्वारा दिया गया ठेका निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

9– पागल, दिवालिया व्यक्ति को निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

10–एडवोकेट/जिला पंचायत शामली के अधिकारी/कर्मचारी/अध्यक्ष/ सदस्य का रक्त सम्बन्धी व्यक्ति टैण्डर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। यदि ऐसा करता है तो उसका टैण्डर स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्त शर्तो/उपविधियों का पालन करने के लिए सम्बन्धित ठेकेदार बाध्य होगा। किसी भी शर्त/उपविधि का उल्लंघन करने एवं किसी शिकायत के सत्य पाये जाने पर जिला पंचायत, शामली को ठेका निरस्त कर जमा धन जब्त कर पुनः टैण्डर प्रक्रिया करने का अधिकारी होगा।

हस्ताक्षर टैण्डरदाता